

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर-302005 ई-मेल--add4ng@gmail.com दुरभाष संख्या-0141-2222683

क्रमांक:- नर्सिंग/जोन-बीकानेर/अध्ययन अवकाश-406/2024/159

दिनांक:- 17.05.2024

:- आदेश :-

निम्नांकित, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता(जीएनएम प्रशिक्षणार्थी) को उनके नाम के सम्मुख अंकित जीएनएम प्रशिक्षण (सत्र 2021-22 व 2022-23 एवं 2023-24) अवधि का अध्ययन अवकाश उनके द्वारा प्रस्तुत जीए-45 के आधार पर आरएसआर नियम 110-112 के तहत निम्नानुसार स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	कार्मिका का नाम	पदस्थापन स्थान	अवकाश की अवधि
1	सरोज	उप स्वास्थ्य केन्द्र-सोनियासर, सुखराम, सुजानगढ, चूरु	1.दिनांक 20.06.2023 से 19.06.2025 तक 2 वर्ष अध्ययन अवकाश। 2.दिनांक 20.06.2025 से 05.09.2025 तक 78 दिवस उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 06.09.2025 से 17.10.2025 तक 42 दिवस अर्द्धवैतनिक अवकाश। 4. दिनांक 18.10.2025 से 19.06.2026 तक 245 दिवस असाधारण अवकाश।
2.	प्रेरणा	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी चूरु	1.दिनांक 25.01.2024 से 24.01.2026 तक 2 वर्ष अध्ययन अवकाश। 2.दिनांक 25.01.2026 से 15.05.2026 तक 111 दिवस उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 16.05.2026 से 24.01.2027 तक 254 दिवस असाधारण अवकाश।
3.	प्रेमलता गोदारा	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी चूरु	1.दिनांक 29.01.2024 से 28.01.2026 तक 2 वर्ष अध्ययन अवकाश। 2.दिनांक 29.01.2026 से 26.04.2026 तक 88 दिवस उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 27.04.2026 से 28.01.2027 तक 277 दिवस असाधारण अवकाश।
3.	सुनिता ढाका	उप स्वास्थ्य केन्द्र-भांगीवाद, सुजानगढ, चूरु	1.दिनांक 31.03.2022 से 30.03.2024 तक 2 वर्ष अध्ययन अवकाश। 2.दिनांक 31.03.2024 से 22.07.2024 तक 114 दिवस उपार्जित अवकाश। 3. दिनांक 23.07.2024 से 28.07.2024 तक 06 दिवस अर्द्धवैतनिक अवकाश। 4. दिनांक 29.07.2024 से 30.03.2025 तक 245 दिवस असाधारण अवकाश।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 17.05.2024

क्रमांक:- नर्सिंग/जोन-बीकानेर/अध्ययन अवकाश-406/2024/159

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राजस्थान-बीकानेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चूरु।
3. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
4. टीसी अनुभाग/राजहैल्थ अनुभाग मुख्यालय।
5. संबंधित कार्मिकाओं, को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों को सूचनार्थ।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय, उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. रक्षित/आदेश पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
7134471

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :17-05-2024 11:56:44